न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—160/2016/225 (2016/00160)

1. सुखदेव पुत्र स्व0 बेणा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती सोनी देवी पत्नि सुखदेव,
   1/2— सोहनसिंह पुत्र सुखदेव,
   1/3— पप्पी देवी पुत्री सुखदेव,
   1/4— सांवरसिंह पुत्र सुखदेव,
   1/5— शीला पुत्री सुखदेव
2. उगमसिंह पुत्र स्व0 बेणा,
3. श्रीमती रतनी पत्नि स्व कालू,
4. मदनसिंह पुत्र स्व0 कालू,
5. बीरम सिंह पुत्र स्व0 कालू,
6. श्रीमती नौरती पुत्री स्व0 कालू,

   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट्स

बनाम

1. गोपी पुत्र स्व0 बींजा,
2. मदन पुत्र स्व0 बींजा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— छोटी पत्नि मदन,
   2/2— दुर्गा पुत्र मदन,
   2/3— राजेन्द्र पुत्र मदन,
   2/4— लोकेश पुत्र मदन,
   2/5— पूजा पुत्री मदन

   समस्त जाति रावत, निवासी नया बड़गावं, तह0 व जिला अजमेर ।
3. सूरजमल पुत्र स्व0 बींजा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— प्रेम पुत्री सूरजमल,
   3/2— कूकड़ी पुत्री सूरजमल,
   3/3— मन्ना पुत्री सूरजमल,
   3/4— सांवर सिंह पुत्र सूरजमल,

   समस्त जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर ।
4. श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 बींजा पत्नि लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम सवाईपुरा पोस्ट भगवानपुरा, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
5. रामसिंह पुत्र दल्लासिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   5/1— प्रभा पत्नि रामसिंह,
   5/2— महेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह,
   5/3— शंकर पुत्र रामसिंह,
   5/4— प्रहलाद पुत्र रामसिंह,

   समस्त जाति रावत, निवासी नया बड़गावं, तह0 व जिला अजमेर ।
6. किशनसिंह पुत्र दल्लासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बालूपुरा रावतों का मौहल्ला, आदर्श नगर, अजमेर ।

देवी सिंह पुत्र स्व0 रामा, जाति रावत, निवासी ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।

8. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   8/1— श्रीमती गुमानी पत्नि लक्ष्मण,
   8/2— भगवान सिंह पुत्र लक्ष्मण,
   8/3— महेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण,

8/4– तीजा पुत्री लक्ष्मण,
8/5– ज्ञानसिंह पुत्री लक्ष्मण,
8/6– नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मण,
समस्त ज़ाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह0 माखुपुरा, जिला अजमेर।
9. तहसीलदार, अजमेर ।
10. उप पंजीयक, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 30.7.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 71/2011.

उपस्थितः–
1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांट संख्या 1/1 से 1/5.
2. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलान्ट संख्या 2 से 6 .
3. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3/4.
4. श्री एन0एस0 राजावत, वकील रेस्पो0 4 से 6.
5. श्री एन0के0 जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 7.
6. रेस्पो0 संख्या 8/1 से 8/6 अनुपस्थित ।
7. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 व 10.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 14.1.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 30.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद वास्ते उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण जवाना के वंशज व वारिसान है तथा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में जवाना की वंशावली अंकित करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व काश्तकारी की आराजियात सारणी "अ" व "ब" ग्राम बड़गावं में अवस्थित है । जवाना की अविभाजित आराजियात में प्रार्थीगण के माता पिता का 1/2 हिस्सा है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 का 1/24, 1/24 हिस्सा निहित है । इस प्रकार प्रार्थीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा करवाने के अधिकारी है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात जवाना की पैतृक सम्पति है जिसमें अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । सारणी "ब" में अंकित आराजी में स्व0 बेणा के नाम एक हिस्सा दर्ज है तथा बिरदा के वारिसान रामा के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा 1/2 हिस्से पर बींजा वल्द माला के नाम दर्ज है । वर्किंग जमाबंदी में स्व0 बेणा के वारिसान के नाम इंद्राज नहीं होकर गलती एवं सहवन की त्रुटि से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई है तथा उक्त अप्रार्थीगण बिना बंटवारा कराये ही वादग्रस्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है । यदि ऐसा करने में अप्रार्थीगण कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपने, हक, हिस्से की भूमि से वंचित हो जावेगें जिससे उनको अपूर्तनीय क्षति कारित होगी । अन्त में दिनांक 18.2.2011 को वाद कारण उत्पन्न होना पाया गया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर सारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए बहस बाबत् एक शब्द भी अपने निर्णय में अंकित किये बिना दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये । अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत भी किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा रहा है और रेस्पोडेंटस को अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने की खुली छूट प्रदान करने जैसा आदेश दिनांक 30.7.2015 को पारित कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात में अपीलांटस एवं रेस्पो0 का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है जिसका आज दिनांक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है तथा ना ही पक्षकारान के मध्य कभी मौखिक बंटवारा हुआ है । आज भी वादग्रस्त भूमि पर शामिल रूप से काश्त करते आ रहे है लेकिन अब पक्षकारान संख्या में अधिक हो जाने से प्रत्येक समय लड़ाई झगड़े की आशंका उत्पन्न होती रहती है इस कारण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का न्यायिक बंटवारा किया जाना न्यायोचित है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिये थी लेकिन उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज कर आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध है । वादग्रस्त भूमि का न्यायिक बंटवारा नहीं होने से रेस्पो0 के मन में बदनियति आ गई है जिससे रेस्पो0 अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने पर हमेशा आमादा रहते है ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक था । दौराने वाद व प्रार्थना पत्र रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू-भाग खसरा संख्या 978/1063 रकबा 0.39 है0 एवं खसरा संख्या 886/1167 रकबा 0.08 है0 का बैचान दिनांक 17.12.2014 को कर दिया है जिसका उनको कोई हक, अधिकार नहीं था। इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने बहस सुनने के बावजूद भी बहस बाबत् एक शब्द भी अपने निर्णय में अंकित किये बिना प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान कर अधी0न्याया0 ने एक प्रकार से रेस्पो0 को अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने एवं खुर्द बुर्द करने की खुली छूट प्रदान करने जैसा आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण ने सारणी 'अ' में अंकित आराजियात बाबत् एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अधी0न्याया0 ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर कोई प्रदान नहीं किये है तथा अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। न्यायालय का कर्त्तव्य है कि दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित करे, लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर काई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की खुली छूट प्रदान कर दी है । यदि अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि को बैचान अथवा खुर्दबुर्द करने से पाबंद नहीं किया गया तो वादग्रस्त आराजी को पुनः आगे बेचान करने में सफल हो जायेगें जिससे वाद बाहुल्यता बढ़ेगी जो न्याय की मतई मंशा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नहीं है । अधी0न्याया0 ने इस और ध्यान नहीं देकर आक्षेपित आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 30.7.2015 में यह संशोधन फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने एवं रहन, बेचान, मुंतकिल करने तथा जबरन अतिक्रमण कर भूमि की शक्ल परिवर्तित करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने रेस्पो0 गोपी, सूरजमल व मदन के वारिसान द्वारा ग्राम बड़गांव के खसरा संख्या 886 के हिस्से के विक्रयपत्र की फोटो प्रति पेश की तथा अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2021 पार्ट–1 पेज 198, डी0एन0जे0 2014 पेज 35, ए0आई0आर0 1962 पेज 527, आर0आर0टी0 2021 पेज 1474 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है जो एक विधिक प्रकिया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि समस्त पक्षकारान की तामील उपरांत उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 30.7.2015 को कोई आदेश पारित नहीं किये है इसलिये अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 30.7.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को पत्रावली अप्रार्थीगण संख्या 7, 8 व 9 की तलबी हेतु विचाराधीन थी। अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण संख्या 7, 8 व 9 की तलबी हेतु आदेश दिये है जो एक विधिक प्रकिया है ना कि कोई अंतिम आदेश । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारान की तलबी उपरांत साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये । अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिका से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा किसी प्रकार का अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिांक 30.7.2015 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण अधी0न्याया0 के समक्ष 2011 से विचाराधीन है । हम न्यायहित में अधी0न्याया0 को यह निर्देश देना उचित समझते है कि प्रकरण में शेष पक्षकारान की तलबी करवा कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को शीघ्रतिशीघ्र निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.1.2022 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर